झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–11 / 2023– 2435 **व०प०, राँची, दिनांक–** 27/06/2023

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषय :– **मेसर्स सी0सी0एल0 की परेज पूर्वी खुली खदान परियोजना हेतु 101.00 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (संख्या– FP/JH/MIN/36228/2018) के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–340 दिनांक–28.03.2023 एवं पत्रांक–521 दिनांक–15.05.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–पालमो, कटकोको, गुनियांथर एवं बुधुवाडीह में चिन्हित 202 हे0 अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड के पत्रांक–573 दिनांक–04.05.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(v) संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(vi) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
23/6/2023
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–11 / 2023– 2435 व०प०, राँची, दिनांक– 27/06/2023

प्रतिलिपि–उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची–834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

23/6/2023
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–11 / 2023– 2435 व०प०, राँची, दिनांक– 27/06/2023

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / उप महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, राँची / परियोजना पदाधिकारी, परेज पूर्वी ओ0सी0पी0, Vill- Parej, P.O.- Banjee, Ramghar, Jharkhand- 825314 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/2023
उप परामर्शी।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 101 ha of Forest Land for Parej East Open Cast in favour of M/S CCL under Ramgarh Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 101 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.-2435 dated-27/06/2023

23/6/2023

Rajdeep Sanjay Lal John
Additional Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Additional Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 521 दिनांकः– 15/5/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स सी0सी0एल0 की परेज पूर्वी खुली खदान परियोजना हेतु 101.00 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/36228/2018) के संबंध में।**

प्रसंग :–
1. इस कार्यालय का पत्रांक 340 दिनांक 28.03.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 573 दिनांक 04.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक 340 दिनांक 28.03.2023 के कंडिका–22 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 573 दिनांक 04.05.2023 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

15.05.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं0 2542
17 MAY 2023
झारखण्ड, राँची।

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।

Email: pccf-wildlife@gov.in,Phone No. 0651-2481744

पत्रांकः–877(WL)P/ 2023-24-573 दिनांकः– 04/05/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषयः– मेसर्स सी0सी0एल0 की परेज पूर्वी खुली खदान परियोजना हेतु 101.00 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/36228/2018) के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– आपका ज्ञापांक 340 दिनांक 28.03.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल ने प्रस्ताव के साथ समर्पित अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु 05 में यह स्पष्ट किया है कि–

5) There is regular movement of herd of elephants in villages located within 10 km of the area porposed for diversion i.e. Laiyo, Basantpur, Rauta, Pindra etc. Wide spread destruction of habitat of wild animal is common in mining areas. Blasting at mining site caused migration of animal from nearby areas. Therefore, it is suggested that a comprehensive wildlife management plan should be prepared.

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो ने भी अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के मंतव्य पर अपनी सहमती जतायी है।

क्षेत्र पदाधिकारियों के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य है कि–

1. प्रस्तावित अपयोजन भूमि के ईर्द–गिर्द वन्यजीवों का आवागमन होने की स्थिति में तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिप्रेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan/ Comprehensive Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।
2. Plan में दिनांक 31.12.2021 को आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति की 66 वीं बैठक में संरक्षित क्षेत्रों/ वनों की भूमि के प्रबंधन के मामलों में लिए गए निर्णयों का सार (MoEF&CC F.No. 6- 141/2021WL दिनांक 1 फरवरी 2022 द्वारा परिचालित) तथा WII, Dehradun द्वारा जारी मानक एसओपी/ दिशानिर्देशों के प्रावधानों को परियोजना की स्वीकृति की अवधारणा में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना क्षेत्र के भीतर और आसपास के क्षेत्रों पर विषय वस्तु विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के माध्यम से पारिस्थितिकी एवं वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर परियोजना के संभावित प्रभाव का आकलन किया जाना अपेक्षित होगा। यह landscape areas में वनस्पतियों और जीवों पर डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है और इस हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा rare/endangered/unique species of flora and fauna को Jharkhand हेतु भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (BSI) द्वारा दी गयी list of threatened plant species endemic to region और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा झारखंड की जीव–जंतु, लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची को संदर्भ में रखा जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास वैज्ञानिक डेटा का सत्यापन कर पारिस्थितिकी के संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन

04/5/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड।